Speed Post

सत्यमेव जयते

भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)

छठा तल, "बी" विंग, लोकनायक भवन,
खान मार्केट,
नई दिल्ली–110003
दिनांक: 05/09/2018

File No. SSM/1/2017/STGMP/DEEDUC/RU-III

सेवा में,

1. सचिव,
संस्कृति विभाग म.प्र. शासन,
संचालक, संस्कृति संचालनालय,
संस्कृति संचालनालय आधार तल,
संस्कृति भवन, बाणगंगा,
भोपाल–462003

2. कुलपति,
राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय,
निदम रोड़, नाका चंद्रावादनी चौराहा,
ग्वालियर (म.प्र.)

विषयः दिनांक 05–07–2018 को माननीय उपाध्यक्ष द्वारा संस्कृति विभाग, मध्यप्रदेश शासन के उपसचिव तथा राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय, ग्वालियर के रजिस्ट्रार तथा परीक्षा प्रभारी मध्य प्रदेश के साथ हुई बैठक का कार्यवृत ।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय पर आयोग के मुख्यालय में दिनांक 05–07–2018 को हुई बैठक का संदर्भ ग्रहण करें । उक्त बैठक का कार्यवृत इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है । आपसे अनुरोध है कि बैठक में लिए गए निर्णयों एवं आयोग द्वारा दिये गये सुझावों पर कार्यवाही करते हुए कार्यवाही रिपोर्ट इस आयोग को एक माह के भीतर उपलब्ध कराने की कृपा करें ।

संलग्नः यथोपरि

भवदीय,

(आर. के. दुबे)
सहायक निदेशक
दूरभाष–24601346

प्रतिलिपिः

1. श्री सहदेव मरकाम,
ग्राम देवरी, पोस्ट टिंगीपुर,
तहसील– बिरसा, जिला बालाघाट (मध्य प्रदेश)
2. एस.ए.एस, एन.आई.सी, एन.सी.एस.टी वेबसाईट में अपलोड करें ।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(File No. SSM/1/2017/STGMP/DEEDUC/RU-III)

विषय : विज्ञापन अनुसार सहायक प्राध्यापक (चित्रकला विभाग) के पद पर नियुक्ति नहीं किए जाने बाबत श्री सहदेव सिंह मरकाम के अभ्यावेदन पर हुई बैठक दिनांक 05.07.2018 का कार्यवृत्त ।

बैठक की तिथि	:	05.07.2018
बैठक में उपस्थित अधिकारी	:	परिशिष्ट 'क'

आयोग को श्री सहदेव सिंह मरकाम निवासी गांव देवरी, तहसील बिरसा, जिला बालाघाट, मध्य प्रदेश से राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय, ग्वालियर में सहायक प्राध्यापक के पद पर अनुसूचित जनजाति वर्ग हेतु आरक्षित पद पर नियुक्ति का पात्र होने के बावजूद रोस्टर में अनियमितता कर नियुक्ति से वंचित किए जाने के संबंध में 06.06.2017 को अभ्यावेदन प्राप्त हुआ ।

इस मामले में माननीय उपाध्यक्ष महोदया की अध्यक्षता में हुई दिनांक 05.07.2018 की बैठक में संस्कृति विभाग, मध्यप्रदेश शासन के उपसचिव तथा राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय, ग्वालियर के रजिस्ट्रार तथा परीक्षा प्रभारी चर्चा के लिए आयोग में उपस्थित हुए ।

आयोग ने सबसे पहले आवेदक श्री सहदेव सिंह मरकाम से अपना पक्ष रखने के लिए कहा जिन्होंने आयोग को बताया कि उन्होंने वर्ष 2014 में प्रकाशित विज्ञापन के अनुसार सहायक प्राध्यापक (चित्रकला) के पद के लिए आवेदन किया था जो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित था । उन्हें वर्ष 2016 में साक्षात्कार के लिए बुलाया गया जहां उनका चयन नहीं हुआ और इस पद के लिए अनुसूचित जाति के केंडिडेट का चयन किया गया जो उनसे कम योग्य और और पीएचडी डिग्रीधारी नहीं था । उन्होंने कहा कि वे मास्टर ऑफ फाइन आर्ट डिग्रीधारी हैं फिर भी उन्हे सामान्य वर्ग में डालकर चयनित न कर के बाहर कर दिया गया ।

आयोग ने राजा मानसिंह तोमर विश्वविद्यालय, ग्वालियर से आए हुए अधिकारियों से इस मामले पर जानकारी देने को कहा और जानना चाहा कि वर्ष 2014 में विज्ञापन प्रकाशित होने के बाद चयन प्रक्रिया शुरू करने में एक वर्ष का समय कैसे लग गया ? सहायक प्राध्यापक हेतु चित्रकला विभाग में अनुसूचित जनजाति का आरक्षित पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कैसे हो गया ?

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
Govt. of India
New Delhi

राजा मानसिंह तोमर विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने आयोग को यह बताया कि शिक्षण विभाग में रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु रोस्टर का संधारण विभागवार किए जाने के निर्देश यू.जी.सी ने वर्ष 2006 में दिए थे जिसके बाद शासन के आदेशानुसार रोस्टर कैडर वाइज तथा विभाग वार बनाने के लिए आदेश हुआ जिसके तहत सहायक प्राध्यापक अनुसूचित जनजाति का पद अनुसूचित जाति के लिए किया गया जिसे बाद में विषय वार वर्णमाला क्रम के हिसाब से बनाने पर यह पद सामान्य वर्ग का चला गया । रोस्टर यू.जी.सी के आदेश पर बनाया गया इसलिए इसमें थोड़ा समय लग गया ।

आयोग ने राजा मानसिंह तोमर विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत किए गए रोस्टर की जांच पर यह पाया कि रोस्टर में एंट्री पेंसिल द्वारा भरी गई है जो नियम विरुद्ध है और न ही रोस्टर पर एंट्री के सामने संबंधित अधिकारी के हस्ताक्षर हैं । रोस्टर संपर्क अधिकारी द्वारा सत्यापित भी नही हैं।

राजा मानसिंह तोमर विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने यह बताया कि इस बारे में उन्हें ज्यादा जानकारी नहीं थी । वे कुछ माह पूर्व ही नियुक्त हुए हैं और उन्हें रोस्टर ऐसे ही मिले थे, भविष्य में सही तरह से रोस्टर संधारित किया जाएगा ।

आयोग ने यह जानना चाहा कि किसी विषय के विभाग में विज्ञापन के बाद भी अगर आरक्षित वर्ग का कैंडिडेट नहीं मिलता है तो क्या दूसरे विभाग में बदलाव कर पद को अनुसूचित जनजाति से भरा जा सकता है ? राज्य में राजा मानसिंह तोमर विश्वविद्यालय के अलावा 11 फाइन आर्टस और भी कॉलेज हैं । उनमें भी रिक्त पदों को भरने की कार्रवाई होनी चाहिए । बैठक में उपस्थित अधिकारियों द्वारा यह सहमति जताई कि यह कार्य हो सकता है । आयोग ने श्री मरकाम को यह सुझाव दिया कि वे इस इस मामले में उपसचिव, संस्कृति विभाग से मिलकर इन कॉलेजों में भी रिक्त पदों को भरने कि कार्रवाई प्रारंभ करा सकते हैं जो इसमें सहयोग करेंगें । श्री सहदेव सिंह मरकाम आयोग में हुई बैठक से काफी संतुष्ट नजर आए ।

आयोग की अनुशंसाएं :

1. राज्य शासन चित्रकला विभाग में अनुसूचित जनजाति वर्ग से पद को भरने पर विचार करे जिसमें इस वर्ग के उम्मीदवार उपलब्ध है क्योंकि कत्थक विभाग में अनुसूचित जनजाति वर्ग का उम्मीदवार नहीं मिल पा रहा है ।
2. मध्यप्रदेश राज्य में 11 फाइन आर्ट्स कॉलेज है । अगर रिक्त पदों सहित आरक्षित पदों को विज्ञापन देकर भरने की कार्रवाई की जाएँ ।
3. रोस्टर पेंसिल से न लिखकर पेन से लिखे जाएँ ताकि इन में कोई भी बदलाव न किया जा सके । नियमानुसार संपर्क अधिकारी व नियोक्ता के तिथि सहित हस्ताक्षर भी कराये जाए ।
4. संस्कृति विभाग म.प्र. शासन एवं राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय द्वारा कृत कार्रवाई की जानकारी आयोग को 1 माह के भीतर दी जाए ।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

परिशिष्ट 'क'

(File No. SSM/1/2017/STGMP/DEEDUC/RU-III)

विषय : विज्ञापन अनुसार सहायक प्राध्यापक (चित्रकला विभाग) के पद पर नियुक्ति नहीं किए जाने बाबत श्री सहदेव सिंह मरकाम के अभ्यावेदन पर हुई बैठक दिनांक 05.07.2018 में भाग लेने वाले अधिकारियों की उपस्थिति ।

क्र.सं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

1. सुश्री अनुसूईया उईके, माननीय उपाध्यक्ष
2. श्री आर.के.दुबे, सहायक निदेशक
3. श्री डी.सी.कटोच, परामर्शक

मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग

1. श्री अदिती कुमार त्रिपाठी, उपसचिव,

राजा मानसिंह तोमर संगित एवं कला विश्वविद्यालय

1. श्री अजय शर्मा, रजिस्ट्रार
2. श्री यू. एस. कुलश्रेष्ठ प्रभारी, परीक्षा

टावेदक

1. श्री सहदेव सिंह मरकाम